अनुदान संख्या 91 - सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
GRANT No. 91 - MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत -	Voted –				
मूल	Original	2505,79,00	4880,83,00	3118,95,15	–1761,87,85
पूरक	Supplementary	2375,04,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1753,06,31
पूंजीगतः	**Capital :**				
स्वीकृत -	Voted -		2157,00	4,72,13	– 16,84,87
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				14,55,53

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹176187.85 लाख) अगस्त, 2011, और मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹237504.00 लाख की पूरक अनुदान का 74 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 36 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹176187.85 lakhs) constituted 74 percent of the supplementary grants of ₹237504.00 lakhs obtained in August, 2011 and March, 2012 and 36 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads :-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	6000.00			
पू.	S.	1.00	..	..	..
पु.	R.	– 6001.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2553" संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	Major Head "2553" MP Local Area Development Scheme				
मू.	O.	158000.00			
पू.	S.	237000.00	250768.00	250768.44	+ 0.44
पु.	R.	-144232.00			
मुख्य शीर्ष "3454" जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	Major Head "3454" Census, Surveys and Statistics				
मू.	O.	52046.00			
पू.	S.	501.00	45786.68	44930.62	– 856.06
पु.	R.	– 6760.32			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	31034.00			
पू.	S.	1.00	14117.31	14189.44	+ 72.13
पु.	R.	– 16917.69			
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	1540.00			
पू.	S.	1.00	69.26	67.46	- 1.80
पु.	R.	– 1471.74			

(I) ₹6001.00 लाख का प्रावधान आठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹5821.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹6001.00 lakhs remained wholly unutilised under eight heads; of these ₹5821.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" – under the following heads :-

(का) "जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी - केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन - क्षमता विकास (केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन का क्षमता विकास और संस्थागत विकास और क्षमता निर्माण" - ₹395.00 लाख;

(A) "Census, Surveys and Statistics - Central Statistical Organisation – Capacity Development (Capacity Development of CSO and Institutional Development and Capacity Building)" – ₹395.00 lakhs;

(खा) "सर्वेक्षण और सांख्यिकी - भारतीय सांख्यिकीय संस्थान - आईएसआई, कोलकाता को सहायता अनुदान" - ₹400.00 लाख; और

(गा) "सर्वेक्षण और सांख्यिकी - आर्थिक परामर्श और सांख्यिकी -

(क) "सांख्यिकी - क्षमता विकास (एनएसएसओ का क्षमता विकास - राज्यों को पूर्वोत्तर क्षेत्र में केंद्रीय एनएसएस नमूना कार्य निष्पादित करने के लिए सहायता अनुदान)" - ₹826.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ख) "भारतीय सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण परियोजना - भारत में सांख्यिकीय प्रणाली का आधुनिकीकरण" -₹2000.00 लाख; और

(ग) "आर्थिक जनगणना" - ₹2200.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "3454" - "सर्वेक्षण और सांख्यिकी - अन्य व्यय - कार्यक्रम कार्यान्वयन" के अंतर्गत ₹540.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹500.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1040.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹749.19 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) पेशेवर सेवाएं अध्ययनों संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और कम सम्मेलन, संगोष्ठियां और दौरे किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2553" - "जिला ग्रामीण अभिकरणों/स्थानीय निकायों को सहायता - अनुदान सहायता" के अंतर्गत ₹158000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹237000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹395000.00 लाख कर दिया गया। तथापि, जो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत जिला प्राधिकारियों द्वारा कम मांग/कार्य पूरा न किए जाने के कारण ₹144231.56 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) "Surveys and Statistics - Indian Statistical Institute - Grants-in-aid to ISI, Kolkata" – ₹400.00 lakhs ;

(C) "Surveys and Statistics - Economic Advice and Statistics" –

(a) "Statistics – Capacity Development (Capacity Development of NSSO – Grants-in-aid to the States for carrying out Central NSS Sample work in North Eastern Region)" – ₹826.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(b) "India Statistical Strengthening Project - Modernisation of Statistical System in India"– ₹2000.00 lakhs; and

(c) "Economic Census" – ₹2200.00 lakhs.

Provisions under the above five heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds to the functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "3454" - "Surveys and Statistics - Other Expenditure – Programme Implementation" – the original provision of ₹540.00 lakhs was augmented to ₹1040.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹500.00 lakhs. However, there was a saving of ₹749.19 lakhs (including supplementary grant) - due to non-finalisation of proposals towards professional services studies and conducting of less conferences, seminars and tours.

(III) Under Major "2553" - "Assistance to District Rural Development Agencies/Local Bodies – Grant Assistance" – the original provision of ₹158000.00 lakhs was augmented to ₹395000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹237000.00 lakhs which however, remained unutilised to the extent of ₹144231.56 lakhs - due to less demand/non-completion of work by District Authorities under MP's Local Area Development Scheme.

(IV) मुख्य शीर्ष "3454" - "सर्वेक्षण और सांख्यिकी" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head "3454"– "Surveys and Statistics" – savings occurred under the following heads:-

(का) "राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन - अधीनस्थ कार्यालय" - ₹1115.29 लाख की बचत (₹19377.42 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, कम दौरे किए जाने और कार्यालय उपस्करों के अधिप्राप्ति संबंधी प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(A) "National Sample Survey Organisation - Subordinate Office" – saving of ₹1115.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19377.42 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken and non-finalisation of procurement proposal for office equipments.

(खा) "केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन" -

(B) "Central Statistical Organisation" –

(क) "भारतीय सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण परियोजना (भारत में सांख्यिकीय प्रणाली का आधुनिकीकरण)" - ₹799.07 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दौरे अनुमोदित किए जाने, कम अध्ययनों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों का आयोजन किए जाने और कम पेशेवरों को काम पर रखे जाने के कारण हुई।

(a) "India Statistical Strengthening Project (Modernisation of Statistical System in India)"– saving of ₹799.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs) was due to approval of less tours, conducting of less studies, conferences, seminars and hiring of less professionals.

(ख) "आर्थिक जनगणना" - ₹5050.20 लाख की बचत (₹5443.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(b) "Economic Census" – saving of ₹5050.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5443.00 lakhs); and

(V) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सर्वेक्षण और सांख्यिकी - अर्थिक परामर्श और सांख्यिकी" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(V) Under Major Head "3601"– "Grants for Central Plan Schemes - Surveys and Statistics – Economic Advice and Statistics" - savings occurred under the following heads :-

(का) "आर्थिक जनगणना" - ₹13259.33 लाख की बचत (₹1.00 लाख के कुल सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹14358.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(A) "Economic Census"– saving of ₹13259.33 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹14358.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय और भारत के महापंजीयक का कार्यालय द्वारा कराए जाने वाले सामाजिक आर्थिक एवं जाति सर्वेक्षण को पूरा किए जाने में विलंब होने की वजह से आर्थिक जनगणना आस्थगित किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to deferment of Economic Census owing to delay in completion of Social Economic & Caste Survey being conducted by Ministry of Rural Development and offices of Registrar General of India.

(खा) "भारतीय सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण परियोजना (भारत में सांख्यिकीय प्रणाली का आधुनिकीकरण)" - ₹4364.05 लाख की बचत (₹15700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों द्वारा स्कीम के दस्तावेजों को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने की वजह से प्रस्तावों का मूर्त रूप न लेने के कारण हुई।

(B) "India Statistical Strengthening Project (Modernisation of Statistical System in India)" – saving of ₹4364.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15700.00 lakhs) was due to non-materialisation of proposals owing to delay in finalization of scheme documents by the States.

(VI) मुख्य शीर्ष "3602" - "केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सर्वेक्षण और सांख्यिकी - आर्थिक परामर्श और सांख्यिकी - भारत सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण परियोजना (भारत में सांख्यिकीय प्रणाली का आधुनिकीकरण)" के अंतर्गत ₹1462.50 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा स्कीमों के कार्यान्वयन की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(VI) Under Major Head "3602"– "Grants for Central Plan Schemes - Surveys and Statistics – Economic Advice and Statistics - India Statistical Strengthening Project (Modernisation of Statistical System in India)" – saving of ₹1462.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to slow progress in implementation of schemes by Union Territory Governments.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹744.42 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सर्वेक्षण और सांख्यिकी - आर्थिक सलाह और सांख्यिकी - सांख्यिकी - क्षमता विकास (एनएसएसओ का क्षमता विकास - राज्यों को पूर्वोत्तर क्षेत्र में केंद्रीय एनएसएस नमूना कार्य किए जाने के लिए सहायता अनुदान)" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

2. The above savings were partly (₹744.42 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh under Major Head "3601" – "Grants for Central Plan Schemes - Surveys and Statistics – Economic Advice and Statistics – Statistics - Capacity Development (Capacity Development of NSSO - Grants-in-aid to the States for carrying out Central NSS Sample work in North Eastern Region)".

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3454" - "सर्वेक्षण और सांख्यिकी - केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन - संबद्ध कार्यालय" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - ₹254.87 लाख का अधिक व्यय (₹2279.86 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन और लंबित चिकित्सा बिलों का निपटान किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3454" - "Surveys and Statistics - Central Statistical Organisation - Attached Office" - excess of ₹254.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2279.86 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salary and settlement of pending medical bills.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
मुख्य शीर्ष "5475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5475" Capital Outlay on Other General Economic Services				
मू.	O.	2157.00	701.47	472.13	– 229.34
पु.	R.	– 1455.53			

(I) “सांख्यिकी - क्षमता विकास (सीएसओ क्षमता का विकास और संस्थागत विकास और क्षमता निर्माण)” - ₹1684.87 लाख की बचत (₹2157.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कम निर्माण कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(I) Under “Statistics – Capacity Development (Capacity Development of CSO and Institutional Development and Capacity Building)” – saving of ₹1684.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2157.00 lakhs) was due to slow progress of construction work by Central Public Works Department.